

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-106/2007

संस्थित दिनांक-03.01.2007

अनीता पुत्री चंदन सिंह पत्नी उधमसिंह आयु 33 साल
जाति लोधी निवासी ग्राम तगारी,
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....परिवादी

विरुद्ध

उधम सिंह पुत्र वीरसिंह आयु 25 साल जाति लोधी
धंधा विधार्थी, निवासी ग्राम बिजरावन तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 24.10.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 “ए” एवं दहेज प्रतिक्षेद अधिनियम की धारा 1961 की धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 26.04.2002 से दिनांक 11.12.2006 की अवधि के बीच ग्राम तगारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में परिवादी अनीता के प्रति क्रूरता कारित की एवं परिवादी अनीता का पति होते हुये, उक्त हैसियत से तुमने प्रत्यक्षता या परोक्षता रूप से परिवादी के माता-पिता से दहेज की मांग की।
- 02—परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी अनीता का विवाह अभियुक्त क्रमांक-1 उधम सिंह से दिनांक 26.04.2002 को ग्राम तगाडी में हुआ था। विवाह के समय अभियुक्त विधार्थी था, जबकि परिवादी अनपढ़ थीं। अभियुक्त व उसके परिजन परिवादी को पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि एक लाख रुपये और

मोटरसाईकिल लाने पर ही उसे रखेंगे और उक्त मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। अभियुक्त दूसरा विवाह करना चाहता है। जबकि उसने परिवादी को अपने घर से उसके जेवर छुड़ाकर भगा दिया, जिससे इसकी पुत्री व उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। दिनांक 10.12.2006 को दिन में दो बजे अभियुक्त अपने परिजनों सहित ग्राम तगाडी आया था और परिवादी के पिता से एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग की थी, जिसे देने में असमर्थता व्यक्त करने पर अभियुक्त ने गाली-गलौच की व परिवादी को चांटा मार दिया, उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2006 को आवेदन प्रस्तुत कर थाना चंदेरी में की गई थी, परन्तु पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से यह अभियोग पत्र अभियुक्त व उसके परिजनों के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 498 ए एवं 3/4 दहेज प्रतिच्छेद अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के लिये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.04.2002 से दिनांक 11.12.2006 को अवधि के बीच ग्राम तगारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में अनीता के प्रति क्रूरता कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.04.2002 से दिनांक 11.12.2006 परिवादी अनीता का पति होते हुये, उक्त हैसियत से तुमने प्रत्यक्षता या परोक्षता रूप से परिवादी के माता—पिता से दहेज की मांग की ?
3.	दोष सिद्धि व दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये

के लिये उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से स्वयं परिवादी अनीता (प0सा0-1) सहित उसके पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) मामा राजाराम (प0सा0-3) व भाई रामपाल सिंह (प0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं।

- 06- परिवादी अनीता लोधी (प0सा0-1) का अपने कथनों में यह कहना है कि उसकी शादी अभियुक्त उधम सिंह से 12 साल पहले हुई थी, शादी के समय उधम पढाई कर रहा था। शादी के बाद उधम उसके साथ मारपीट करता था और कहता था कि पढाई के लिये अपने मां-बाप के यहां से पैसे लेकर आ। परिवादी अनीता लोधी का कहना है कि न्यायालय से वह एक बार अभियुक्त के पास चार-पांच महीने रहने के लिये गई थी, तो इस अवधि में भी अभियुक्त उसके साथ मारपीट करता था और पढाई के लिये पैसे और मोटरसाईकिल की मांग करता था। परिवादी का कहना है कि अभियुक्त एक बार ग्राम तगारी में उसके पिता के घर पर भी आया था और वहां आकर भी दहेज मांग रहा था और कह रहा था, कि पैसे दोगे तो रखेंगे और अभियुक्त उस समय उसके जेवर छुड़ाकर तथा उसके साथ मारपीट करके भाग गया था।
- 07- परिवादी अनीता लोधी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों में यह स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद किस किस दिनांक को उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की थी तथा वह किस दिनांक को उसके पिता के घर पर दहेज की मांग कर मारपीट करके भाग गया था। परिवादी ने अपने कथनों में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त उससे कितने रूपयों की मांग कर रहा था। उपरोक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से परिवादी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है जिसमें परिवादी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 व 8 में यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है कि अभियुक्त ने किस किस तारीख को उसके साथ मारपीट की एवं पढाई के लिये पैसे एवं मोटरसाईकिल की मांग की।
- 08- परिवादी अनीता के पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) ने भी अपने कथनों में व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने अनीता के साथ शादी के बाद एक लाख रुपये एवं मोटरसाईकिल के लिये मारपीट करता था। राजाराम (प0सा0-3) जो कि परिवादी का मामा है अपने कथनों में यह कहता है कि उधम शादी के बाद से अनीता से यह कहता था कि तू पढी लिखी नहीं है, तेरे पिता एक लाख रुपये मोटरसाईकिल देगा तो ही वह उसे रखेंगा। रामपाल सिंह (प0सा0-4) का भी अपने कथनों में यह कहना है कि उसकी बहन की शादी 2002 में हुई थी तथा

शादी के बाद से ही उधम का उसकी बहन से दहेज को लेकर झगडा होता था तथा उधम दहेज में एक रुपये और गाडी की मांग करता था। इस साक्षी के कथनों में एक रुपये की मांग का उल्लेख अवश्य हुआ है जो कि संभवतः टंकण त्रुटि से होना प्रतीत होता है।

- 09— चंदन सिंह (प0सा0-2), राजाराम (प0सा0-3) व रामपाल सिंह (प0सा0-4) ने अपने कथनों में निश्चित रूप से यह बताया है कि अभियुक्त शादी के बाद से परिवादी से एक लाख रुपये और गाडी की मांग को लेकर मारपीट करता था, परन्तु परिवादी सहित इनमें से किसी भी साक्षी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त के द्वारा किस किस दिनांक को परिवादी के साथ उपरोक्त मांग की गई और उपरोक्त मांग को लेकर मारपीट की गई। परिवादी पक्ष की ने यह स्पष्ट किया है कि परिवादी की शादी अभियुक्त से वर्ष 2002 में हुई थी, परन्तु वर्ष 2002 के बाद से कब कब अभियुक्त के द्वारा परिवादी को दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया गया, इस संबंध में किसी भी साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं है और न ही वह बचाव पक्ष के द्वारा पूछे जाने पर अपने प्रतिपरीक्षण में ही स्पष्ट कर सके हैं। अतः अभियुक्त ने दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल की मांग के लिये परिवादी के साथ शादी के बाद मारपीट की, इस संबंध में परिवादी सहित अन्य साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन यांत्रिकी रूप से दिये गये प्रकट होते हैं।
- 10— परिवादी अनीता लोधी जो कि प्रकरण में मुख्य पीडित है, स्वयं ही यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि वास्तव में अभियुक्त के कितने रुपये की मांग किस प्रयोजन के लिये की जा रही थीं। परिवादी का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि अभियुक्त उससे पढाई के लिये एक लाख रुपये की मांग कर रहा था, क्योंकि शादी के समय वह पढाई कर रहा था। चंदन सिंह (प0सा0-2) ने भी इस संबंध में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत परिवाद पत्र में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा की जा रही मांग पढाई के लिये की जा रही थीं। निश्चित रूप से परिवादी व चंदन सिंह (प0सा0-2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन गंभीर विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आते हैं, परन्तु परिवादी अनीता लोधी (प0सा0-1) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों से इस संबंध में तात्विक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।
- 11— अनीता लोधी (प0सा0-1) एक ओर अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहती है कि अभियुक्त उससे पढाई के लिये पैसे व मोटरसाईकिल की मांग करता था,

क्योंकि वह शादी के समय पढाई कर रहा था, परन्तु यहीं साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 1 में उपरोक्त कथनों के विपरीत यह कहती है कि शादी के समय उधम सिंह पढाई नहीं कर रहा था तथा उधम सिंह 10 वीं फ़ैल था। परिवादी अनीता लोधी (प0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में पुनः अपने उपरोक्त कथनों से पलटते हुये यह कहती है कि उसने अपने परिवाद पत्र में यह लिखा दिया था कि आरोपी पढाई के लिये पैसे मांग रहा था।

- 12— यह उल्लेखनीय है कि संपूर्ण परिवाद पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा पढाई के लिये रूपयों की मांग परिवादी से की जा रही थी तथा उक्त मांग कब कब की गई। परिवादी न्यायालय में ही पूर्व में दिये गये अपने कथनों पर स्थिर नहीं है तथा वह एक ओर यह कहती है कि अभियुक्त पढाई के लिये पैसे मांग रहा था वही दूसरी ओर उसका कहना है कि शादी के समय अभियुक्त 10 वीं फ़ैल था और पढाई नहीं कर रहा था। अतः परिवादी का एवं उसके पिता चंदन सिंह (प0सा0—2) का यह कहना कि अभियुक्त पढाई के लिये रूपयों की मांग कर रहा था, इन साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुये विरोधाभास से विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं।
- 13— परिवादी अनीता लोधी (प0सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में यह कहती है कि वह न्यायालय के द्वारा भेजे जाने पर चार—पांच महीने अभियुक्त के साथ रही है, परन्तु उस अवधि में भी अभियुक्त ने उसके साथ रूपयों व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट की थीं, परन्तु किस दिनांक को व कब—कब उक्त कृत्य अभियुक्त के द्वारा किया गया, यह परिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है। परिवादी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की विश्वसनीयता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान भी यदि वह अभियुक्त के साथ ससुराल रहने के लिये गई थी और अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त मांग को लेकर मारपीट की गई, तब भी उसने न तो न्यायालय में इस संबंध में कोई आवेदन दिया और न ही थाने में इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत की।
- 14— अनीता लोधी (प0सा0—1) की ओर से मात्र प्रकरण में अपने समर्थन में प्रदर्श—पी—1 का आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि थाना प्रभारी चंदेरी को दिनांक 11.12.2006 को दिया जाना बताया गया है। वर्ष 2002 में शादी के बाद से दिनांक 11.12.2006 तक परिवादी व उसके परिजनों के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के संबंध में कभी कोई शिकायत

न तो थाने पर की गई और न ही न्यायालय में भी की गई। स्वयं अनीता लोधी (प0सा0-1) सहित कोई भी साक्षी यह स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि शादी के बाद किस किस दिनांक को अभियुक्त ने अनीता लोधी को दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित किया था। अतः परिवादी सहित साक्षियों के द्वारा मात्र अपनी साक्ष्य में यह यांत्रिकी रूप से यह कह देने से की अभियुक्त अनीता (प0सा0-1) के साथ शादी के बाद दहेज के रूप में एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट करता था, पर विश्वास करने का आधार अभिलेख पर नहीं हैं।

- 15— परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक 10.12.2006 को अभियुक्त सहित उसके परिजन ग्राम तगाडी में परिवाद के पिता के घर पर आया था और उसने वहां आकर अभियुक्त ने उसके पिता से एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल की मांग की थीं, जिसे न देने पर अभियुक्त ने पिता के साथ गाली-गलौच की और परिवादी को चांटा मार दिया तथा अभियुक्त के साथ आये शेष परिजन उसे परिवादी के साथ मारपीट करने के लिये उकसा रहे थे तथा उस समय उसके पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) राजाराम (प0सा0-3) व रामपाल सिंह (प0सा0-4) मौजूद थे। उपरोक्त संबंध में परिवादी अनीता अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहती है कि अभियुक्त एक बार उसके पिता के घर पर आया था और दहेज मांग रहा था और कह रहा था कि पैसों दोगे तभी रखेंगे और उसके जेवर छुड़ाकर मारपीट करके भाग गया था।
- 16— अभियुक्त किस दिनांक को उसके पिता के घर पर आया था, उसके साथ कौन-कौन था, उक्त घटना कितने बजे की है तथा उक्त घटना के समय कौन-कौन उपस्थित था, यह कहीं भी इस साक्षी ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है। अभियुक्त के द्वारा कितने रूपयों की मांग की गई व किससे मांग की गई तथा घटना में उसे कहां चोटें आई थीं, यह भी परिवादी ने स्पष्ट नहीं किया। परिवादी अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा जेवर छुड़ाकर ले जाना बताती है जबकि ऐसा कहीं भी उल्लेख परिवाद पत्र सहित साक्षियों के कथनों में नहीं है।
- 17— परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक 10.12.2006 की घटना के मुख्य साक्षी चंदन सिंह (प0सा0-2) व राजाराम (प0सा0-3) थे। इस संबंध में चंदन सिंह (प0सा0-2) का अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कहना है कि अभियुक्त एक बार तीन-चार लोगों के साथ अनीता को लेने के लिये ग्राम तगाडी आया था और उसके साथ गाली-गलौच करने लगा था और अनीता के

साथ धक्का-मुक्की कर दी थी और अभियुक्त कह रहा था कि राजीनामा कर लो नहीं तो जान से मार दूंगा। अतः चंदन सिंह (प0सा0-2) जिससे परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक 10.12.2006 को अभियुक्त के द्वारा एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग की गई और न देने पर गाली-गलौच की गई, का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि उक्त दिनांक को अभियुक्त ने एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ गाली-गलौच व परिवादी के साथ मारपीट की थी, बल्कि चंदन सिंह (प0सा0-2) के अनुसार अभियुक्त उक्त दिनांक को राजीनामा करने के लिये जान से मारने की धमकी दे रहा था।

18— चंदन सिंह (प0सा0-2) अपने मुख्यपरीक्षण में तो अभियुक्त को तीन-चार लोगों के साथ उसके घर में आना बताता है, परन्तु उक्त घटना किस दिनांक की है तथा अभियुक्त ने वास्तव में उस समय परिवादी व उसके पिता से कोई मांग की या कहीं चंदन सिंह (प0सा0-2) ने स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत चंदन सिंह (प0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में अपने उपरोक्त कथनों के विपरीत यह कहता है कि अभियुक्त ग्राम तगाडी में कभी नहीं आया था, बल्कि उसने अनीता को बस में बैठा दिया था तथा अनीता जब पेशी पर आई थी, तब अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की थी। अतः चंदन सिंह (प0सा0-2) के कथनों में इस संबंध में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है वास्तव में अभियुक्त ने ग्राम तगाडी में आकर स्वयं उससे एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर विवाद किया था। यदि वास्तव में अभियुक्त ने ग्राम तगाडी में चंदन सिंह (प0सा0-2) के घर पर आकर दिनांक 10.12.2006 को दहेज की मांग के रूप में एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल मांगे होते और न देने पर विवाद किया होता तो स्वयं चंदन सिंह (प0सा0-2) के कथनों में इस संबंध में विरोधाभास एवं असमंजस्य की स्थिति नहीं होती कि वास्तव में अभियुक्त ग्राम तगाडी में दिनांक 10.12.2006 को आया था अथवा नहीं।

19— राजाराम (प0सा0-3) जो कि इसी घटना का दूसरा साक्षी है, चंदन सिंह (प0सा0-2) के कथनों के सामान ही अपने मुख्यपरीक्षण में कहता है कि अभियुक्त एक बार अनीता को लेने के लिये ग्राम तगाडी आया था और अनीता के साथ मारपीट की थीं और कह रहा था कि उसके पिता एक लाख रुपये देंगे तो वह रखेगा। यह उल्लेखनीय है कि राजाराम (प0सा0-2) ग्राम तगाडी का निवासी न होकर हलनपुर रहता है, यह साक्षी घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति का कारण उसकी ग्राम तगाडी में जमीन होना बताता है, परन्तु उपरोक्त घटना के संबंध में इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी

कथन दिये है । इस साक्षी ने सर्वप्रथम तो यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम तगाडी में अभियुक्त ने किस दिनांक को व किस समय आकर दहेज की मांग को लेकर परिवादी के साथ मारपीट की थी तथा यहीं साक्षी अपने उपरोक्त कथनों के विपरीत प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कहता है कि जमीन की फसल काटने को लेकर मारपीट हुई थी तथा मारपीट बिजरावन में हुई थी।

20— रामपाल (प0सा0—4) जो कि परिवादी का भाई हैं, अपने कथनों में यह कहता है कि दिनांक 10.12.2006 को उधम सिंह ने अपने भाई वीरसिंह व राजू सहित गाली-गलौच की थी और उधम ने अनीता की मारपीट की और उन लोगों के साथ झूमाझटकी की थी और कह रहा था एक लाख रुपये और गाडी दो तभी रखेंगे। इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त अपने भाईयों के साथ कहां पर आया था व कितने बजे की उपरोक्त घटना है तथा अनीता को अभियुक्त ने कहां पर मारपीट कर उपहति कारित की थी व किससे उक्त मांग की थी।

21— परिवाद पत्र में बतायी गई घटना दिनांक 10.12.2006 के संबंध में स्वयं परिवादी व रामपाल सिंह (प0सा0—4) के कथन स्पष्ट नहीं है, वहीं जिस व्यक्ति चंदन सिंह (प0सा0—2) से उक्त दिनांक को दहेज की मांग की जाना परिवाद पत्र में बताया गया है उसी साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहना है कि अभियुक्त तो तगाडी आया ही नहीं था, तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इसी साक्षी का यहीं कहना है कि उसकी लडकी ने उसे बताया था कि उक्त दिनांक को अभियुक्त यह कह रहा था कि राजीनामा कर ले नहीं तो मार दूंगा तथा अनीता ने ही उसे बताया था कि उसके साथ अभियुक्त ने धक्का-मुक्की की है। अतः चंदन सिंह (प0सा0—2) के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि दिनांक 10.12.2006 को अभियुक्त को उससे कोई विवाद नहीं हुआ और न ही उसके सामने कोई विवाद हुआ। यह साक्षी स्वयं यह कहता है कि जो भी बातचीत हुई थी वह ग्राम बिजरावन में हुई थी जो अपने आप में दिनांक 10.12.2006 की परिवाद पत्र में बताई गई घटना को संदेह के घेरे में ले आता है।

22— स्वयं राजाराम (प0सा0—3) तगाडी में अपने सामने अभियुक्त का आना व परिवादी के साथ मारपीट करना तो बताता है, परन्तु उक्त घटना किस दिनांक व समय की है तथा वह हलनुपर का निवासी होकर ग्राम तगाडी में घटना के समय परिवादी के घर पर कैसे उपस्थित था, यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के द्वारा यह कहने से की बिजरावन में

मारपीट की घटना हुई थी, अपने आप में दिनांक 10.12.2006 की घटना के संबंध में इस साक्षी के कथनों को अविश्वसनीय बनाता है।

- 23— यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.12.2006 की घटना जो कि परिवाद पत्र में बताई गई है, उसके संबंध में परिवादी सहित किसी का भी चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ। दिनांक 11.12.2006 को घटना के संबंध में थाने पर आवेदन दिया जाना बताया गया है, जो प्रदर्श-पी-1 के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है, परन्तु उक्त दस्तावेज प्रदर्शित होने मात्र से यह साबित नहीं होता है कि परिवादी के द्वारा घटना के तुरन्त बाद थाने पर आवेदन दिया गया। थाने पर दिये गये आवेदन की प्राप्ति वास्तव में पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा दी गई प्रमाणित करने के लिये पुलिस थाना चंदेरी से न तो किसी भी पुलिसकर्मी की साक्ष्य कराई गई है और न ही यह प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 11.12.2006 को पुलिस थाना चंदेरी में किसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया। अतः ऐसे में दिनांक 11.12.2006 को थाने पर कार्यवाही किये जाने के लिये प्रदर्श-पी-1 का आवेदन दिया भी गया था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।
- 24— अभिलेख पर परिवादी सहित साक्षियों के द्वारा यांत्रिकी रूप से यह बताया गया है कि शादी के बाद अभियुक्त परिवादी से एक लाख रुपये मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट करता था, परन्तु शादी के बाद से विधिवत् इस संबंध में कोई शिकायत किसी सक्षम प्राधिकारी को परिवादी के द्वारा की गई। यहां तक की वर्ष 2002 से लेकर 11.12.2006 तक किस किस दिनांक को व कब-कब अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परिवादी को प्रताड़ित किया गया, यह कोई भी साक्षी अपने कथनों में स्पष्ट नहीं कर सका। दिनांक 10.12.2006 को अभियुक्त के द्वारा ग्राम तगाडी में आकर परिवादी के पिता से एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर परिवादी के साथ मारपीट की घटना के विरुद्ध स्वयं परिवादी के पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) ने न्यायालय में कथन देकर उक्त घटना अपने सामने न होना बताया है तथा चंदन सिंह (प0सा0-2) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि उक्त दिनांक को ऐसी कोई घटना हुई। वहीं परिवादी सहित अन्य साक्षियों के कथन इस संबंध में विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त के द्वारा शादी के बाद से एवं दिनांक 10.12.2006 को परिवादी एवं उसके परिजनों से दहेज के रूप में एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर परिवादी के साथ मारपीट की गई, इसको साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

- 25— निश्चित रूप से अभिलेख पर आई साक्ष्य यह दर्शित होता है कि परिवादी एवं अभियुक्त उधम के मध्य शादी के बाद से आपस में कुछ विवाद रहे हैं और परिवादी अभी उधम के साथ न रहकर अलग निवास कर रही है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य उत्पन्न हुये विवाद एवं उक्त विवादों में पत्नी को हुई मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना धारा 498 ए भा0दं0वि0 के अपराध की परिधि में नहीं आती है। वर्तमान प्रकरण में परिवाद पत्र में ही यह उल्लेख है कि अभियुक्त परिवादी के अनपढ़ होने के कारण उसे पसन्द नहीं कर रहा था और दूसरा विवाह करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्त एक लाख रुपये व दहेज की रूप में मोटरसाईकिल की मांग करता था।
- 26— उपरोक्त दोनों ही स्थितियां एक साथ होना संभव नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को अनपढ़ होने के कारण पसन्द नहीं करता हो और दूसरा विवाह करना चाहता हो वह उसे रखने के लिये यह शर्त क्यों रखेगा कि पत्नी एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल की मांग की पूर्ति करे। परिवादी अनपढ़ महिला है और अभियुक्त तथा परिवादी के बीच मुख्य विवाद इसी बात को लेकर है, यह स्वयं परिवादी के पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 1 में एवं परिवादी के भाई रामपाल सिंह (प0सा0-4) ने अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार किया है। अतः साक्षियों के उपरोक्त कथनों से परिवादी व अभियुक्त के मध्य विवाद का कारण दहेज की मांग न होकर अभियुक्त को परिवादी को पसन्द न करना है।
- 27— अभियुक्त के द्वारा परिवादी से दहेज की मांग किया जाना एवं उक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाना इस कारण से भी संभव नहीं है कि स्वयं परिवादी सहित उसके पिता चंदन सिंह (प0सा0-2) राजाराम (प0सा0-3) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया है कि परिवादी के नाम पर 2 बीघा 7 बिस्वा की रजिस्ट्री अभियुक्त की मां ने कर दी है तथा स्वयं अनीता लोधी (प0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह स्वीकार करती है कि दो बीघा 13 बिस्वा की रजिस्ट्री अभियुक्त उसके पक्ष में और करा दे तो वह राजीनामा कर लेगी। चंदन सिंह (प0सा0-2) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन दिये हैं कि उनका कहना है कि अनीता के बच्चों के नाम 5 बीघा जमीन वह अभियुक्त से कराना चाहते हैं तथा इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 13 में यह स्वीकार किया है कि यदि अभियुक्त 2 बीघा 13 बिस्वा की रजिस्ट्री अनीता के बच्चों के नाम कर देता तो उनका कोई विवाद नहीं होता। इसी

तरह राजाराम (प0सा0—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में अनीता व चंदन सिंह (प0सा0—2) के कथनों की पुष्टि की है।

28— अतः स्पष्ट है कि परिवादी के पक्ष में 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री अभियुक्त की मांग के द्वारा करा दी गई है, परन्तु 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री परिवादी अपने पक्ष में और कराना चाहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जहां अभियुक्त के उपर परिवादी के द्वारा एक लाख रुपये व मोटरसाईकिल की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोप लगाये गये, वहीं दूसरी ओर स्वयं अभियुक्त के द्वारा ही 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में करा दी गई है। यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो स्वयं एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल की मांग परिवादी से कर रहा है वह उक्त मांग की पूर्ति न होने पर स्वयं ही 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में करा दें। अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य भी यह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त व परिवादी के मध्य विवाद का कारण दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना न होकर अभियुक्त का परिवादी को अनपढ़ होने के कारण पसन्द न करना है और उक्त कारण से ही अभियुक्त, परिवादी के साथ निवास नहीं कर रहा है और परिवादी अलग रह रही है।

29— अभियुक्त के द्वारा परिवादी को बिना किसी पर्याप्त कारण के छोड़कर अलग रहने से निश्चित रूप से परिवादी को मानसिक पीडा हो सकती है, परन्तु उक्त पीडा धारा 498 “ए” भा0दं0वि0 के तहत कूरता की परिधि में नहीं आती हैं। यहां भा0दं0वि0 की धारा 498 “ए” में दिये गये स्पष्टीकरण का उल्लेख यहां किया जाना आवश्यक है जिसमें कूरता शब्द का आशय धारा 498 “ए” भा0दं0वि0 के प्रयोजन से स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार.....

“cruelty” means—

- (a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or
- (b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.

30—अतः भा0दं0वि0 498 “ए” की परिधि में दो प्रकार की कूरता आती है प्रथम तो ऐसा कृत्य जो पत्नी को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दे या उसके जीवन स्वास्थ्य को गंभीर उपहति कारित करें। वहीं दूसरी ओर ऐसी कूरता जो दहेज की मांग के लिये की जावें। वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य

कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया, जिससे परिवादी आत्महत्या करने के लिये मजबूर हुई हो अथवा उसके जीवन व स्वास्थ्य पर कोई गंभीर क्षति कारित हुई हो। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त परिवादी से या उसके परिजनों से दहेज की माग कर उसे कभी भी प्रताड़ित किया गया, यह भी अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त का परिवादी से उसे पसन्द न करने के कारण अलग रहना भा०द०वि० की धारा 498 "ए" के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

- 31— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुई कि अभियुक्त ने दिनांक 26.04.2002 से दिनांक 11.12.2006 की अवधि के बीच ग्राम तगारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर में परिवादी अनीता के प्रति क्रूरता कारित की एवं परिवादी अनीता का पति होते हुये, उक्त हैसियत से तुमने प्रत्यक्षता या परोक्षता रूप से परिवादी के माता —पिता से दहेज की मांग की।
- 32— फलतः अभियुक्त उधम सिंह पुत्र वीरसिंह के विरुद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भा०द०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिक्षेद अधिनियम की धारा 1961 की धारा 4 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिक्षेद अधिनियम की धारा 1961 की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 33—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

